

मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम 2017

1. **प्रस्तावना** :- एम.पी.ट्रायफेक (मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड) का गठन वर्ष 2004 में मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के अधीन किया गया है।

मध्य प्रदेश मूलतः कृषि एवं वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य रहा है। आर्थिक उदारीकरण के युग में देश के विकसित एवं उद्योगीकृत राज्यों के सापेक्ष प्रदेश को भी एक सुदृढ़ आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना एवं रोजगार के अवसरों का अधिक से अधिक सृजन करना राज्य का मुख्य लक्ष्य हो गया है।

प्रदेश के सर्वांगीण एवं युक्तियुक्त आर्थिक विकास को गति देने हेतु इस निगम को मुख्यतः निवेश प्रोत्साहक संस्था के रूप में कार्य एवं दायित्व सौंपे गये हैं। निवेश ही आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन का मूलाधार है। अतः प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित हो, यह इस निगम का ध्येय है। इसी के अनुरूप, मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन एक्ट 2008 के तहत वृहद एवं मेगा परियोजनाओं की सुगमता (फेसिलिटेशन) हेतु निगम को राज्य शासन की सिंगल विन्डो एजेन्सी के सचिवालय के रूप में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार निगम को प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना विकास एवं नियोजन जो निवेश का मुख्य आधार है, का दायित्व भी सौंपा गया है।

किसी उददेश्य, लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन है। एम.पी.ट्रायफेक के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ मानव संसाधन की प्राप्ति एवं उसका श्रेष्ठ प्रबंधन वांछनीय होगा। इस हेतु युक्तियुक्त भर्ती एवं सेवा नियमों की अपेक्षा की पूर्ति हेतु प्रशासकीय विभाग के अधीनस्थ एम.पी.ट्रायफेक एवं इसकी सहायक कम्पनियों के एकीकृत संगठन (आर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर) की सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा भर्ती सह सेवा शर्तों हेतु निम्नलिखित नियम बनाये गए हैं :-

1.1 संक्षिप्त नाम तथा प्रयुक्ति :-

(क) इन नियमों को मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम 2017 कहा जाएगा।

(ख) यह नियम मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के आदेश दिनांक 07 जुलाई 2017 से प्रभावशील माने जाएंगे।

1.2 शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1(1) 16/2016/बी-ग्यारह भोपाल, दिनांक 09.05.2017 द्वारा एकीकृत संगठन के लिए स्वीकृत पद अनुसूची-एक (1) में वर्णित है।

1.3 मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम 2017 अंतर्गत संवर्ग भर्ती/नियुक्ति व्यवस्था अनुसूची-दो (2) अनुसार होगी।

1.4 मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम 2017 अंतर्गत स्वीकृत पदों की नियुक्ति हेतु प्रबंध संचालक एम.पी.ट्रायफेक नियुक्तकर्ता अधिकारी होंगे।

1.5 ऐसे पद जिनका उल्लेख अनुसूची दो (2) में नहीं है किन्तु ऐसे पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है वह सभी पद डाईंग केडर पद माने जायेंगे।

1.6 सेवा का वर्गीकरण वेतनमान आदि :- सेवा का वर्गीकरण संबद्ध वेतनमान, पदनाम तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची क्रमांक-एक (1) में वर्णित अनुसार होगी। तथापि संचालक मण्डल शासन अनुमोदन से समयानुकूल आवश्यकता के आधार पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थाई अथवा अस्थायी रूप से वृद्धि अथवा कमी कर सकेगा।

अनुसूची में वर्णित पदनाम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन (वेतनमान यथावत रखते हुये) करने हेतु संचालक मण्डल पूर्णतः अधिकृत होगा।

1.7 प्रबंध संचालक स्वीकृत पदों पर सेवारत सेवकों को एकीकृत संगठन में किसी भी स्थान पर पदस्थ करने हेतु पूर्णतः अधिकृत होंगे।

2. परिभाषाएँ :- इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

2.01 अधिनियम से तात्पर्य है "कम्पनी अधिनियम सह अनुवर्ती नियम 2013 एवं समय समय पर यथा संशोधित"

- 2.02 निगम से तात्पर्य है :-** “ मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (मध्यप्रदेश ट्रायफेक)।
- 2.03 कम्पनी से तात्पर्य है** मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि.।
- 2.04 शासन से तात्पर्य है** “ मध्यप्रदेश शासन के अधीन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय भोपाल है ”।
- 2.05 राज्य से तात्पर्य है** “ भारत गणराज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य”।
- 2.06 विभाग से तात्पर्य है** “ वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, भोपाल”।
- 2.07 राज्यपाल से तात्पर्य है** “ भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मध्यप्रदेश के राज्यपाल”।
- 2.08 संचालक मण्डल से तात्पर्य है** “कम्पनी अधिनियम के प्रचलित प्रावधानों सह आर्टिकल आफ एसोसियेशन के प्रचलित प्रावधानों के अधीन कम्पनी के संचालन हेतु गठित संचालक मण्डल”
- 2.09 नियुक्त अधिकारी से तात्पर्य है,** प्रबंध संचालक एम.पी.ट्रायफेक।
- 2.10 “प्रबंध संचालक” से तात्पर्य है,** प्रबंध संचालक एम.पी.ट्रायफेक।
- 2.11 “अधिकारी/कर्मचारी” से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची क्रमांक—दो (2) में उल्लेखित किसी भी नियमित पद पर निगम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निगम में सेवायोजित व्यक्ति” से है।**
- 2.12 “ अनुसूची” से तात्पर्य है** “ इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है”।
- 2.13 समिति से तात्पर्य है** “ यथा स्थिति विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति जो नियमों में उल्लेखित है अथवा समय—समय पर संचालक मण्डल या प्रबंध संचालक द्वारा निगम हित में विधि मान्य रूप से गठित की जाए”।
- 2.14 “अनुसूचित जाति”, “अनुसूचित जनजाति”, “अन्य पिछड़ा वर्ग” से वही तात्पर्य होगा जो राज्य शासन द्वारा परिभाषित है या किया जायें।**
- 2.15 “प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी” से तात्पर्य ऐसे सेवकों से है जिन्हें एम.पी. ट्रायफेक सेवा के लिए नियमानुसार अन्य विभागों एवं संगठनों से प्राप्त कर सेवायोजित किया गया है।**

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति :-

- 3.1 ये नियम एकीकृत संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रयुक्त होंगे।
- 3.2 इन सेवा भर्ती नियमों के प्रभावशील होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में एम.पी. ट्रायफेक एवं एकेव्हीएन/आई.आई.डी.सी ग्वालियर में सेवारत सभी अधिकारी /कर्मचारियों को नवीन सेटअप में समाहित होने का विकल्प उपलब्ध होगा। तदुपरांत युक्तियुक्तकरण कर उन्हें नवीन संवर्ग में समाहित किया जायेगा। ट्रायफेक में इस हेतु एक समन्वय समिति बनाई जायेगी जो प्राप्त विकल्पों को मान्य/अमान्य करने व तदानुसार नवीन सेटअप में समायोजन करने की अनुशंसा करेगी, जिसके आधार पर निर्णय लेने हेतु प्रबंध संचालक पूर्णतः अधिकृत होंगे।

प्रबंध संचालक के निर्णय से असहमत अधिकारी/कर्मचारियों को 30 दिवस में संचालक मण्डल के समक्ष अपील का अधिकार होगा। संचालक मण्डल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

- 3.3 वे पद जो पूर्व सेवा नियमों में थे किन्तु इन सेवा नियमों में नहीं है, उन्हें डाइंग कैंडर पद माना जाएगा। इन पदों पर सेवारत सेवक अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग, पदच्युति अवधि तक जैसी भी स्थिति हो, यथावत संगठन में सेवायोजित रहेंगे।

4. **सेवा में नियुक्ति :-** इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात एकीकृत संगठन में समस्त नियुक्तियां प्रबंध संचालक एम.पी.ट्रायफेक द्वारा नियम 5 में वर्णित विधियों से की जाएगी।

5. नियुक्ति की विधियां :-

- 5.1 स्वीकृत पद सीमा अधीन नियुक्ति निम्न विधियों से होगी :-

- (1) सीधी भर्ती :- इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात सेवा में सीधी भर्ती पदों की स्वीकृत पद संख्या के अधीन सीधी भर्ती की जा सकेगी। किन्तु किसी कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती के किसी संवर्ग में स्वीकृत पदों के 33 प्रतिशत पद सीमा तक ही उस संवर्ग में भर्ती की जा सकेगी किंतु स्वीकृत पद संख्या तीन से कम होने पर शिथिलता रहेगी।

- (2) नियुक्त सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।

- (3) शासकीय विभागों, निगम मण्डलों या शासन अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से।
- 5.2 विभिन्न विधियों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संवर्गवार कुल सीमा, संवर्ग में वर्णित अनुपात, अनुसूची क्रमांक—दो (2) में वर्णित अनुसार ही रहेगी।
6. सीधी भर्ती की विधि एवं पात्रता शर्तें :-
- 6.1 सीधी भर्ती से आवेदकों का चयन अनुसूची—दो (2) में वर्णित अर्हता एवं पात्रता अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया से प्रतियोगी परीक्षा सह साक्षात्कार अथवा साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा किन्तु अकार्यपालिक तृतीय वर्ग के चयन में साक्षात्कार का निषेध रहेगा।
7. आयु :-
- (1) सीधी भर्ती द्वारा नियोजित होने के लिये अभ्यर्थी की अधिकतम सीमा 30 वर्ष होगी। किन्तु शासन नीति अनुसार जिन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त है उन सभी के लिए इन नियमों में पाँच वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट प्राप्त होगी।
- (2) समस्त वर्ग (आरक्षित व अनारक्षित)के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी।
- (3) यदि शासन द्वारा कभी भी थर्ड जेन्डर को अभ्यर्थी रूप में मान्य किया जाएगा तो इन नियमों में भी शासन नियमों के यथारूप माना जाएगा।
8. शैक्षणिक अर्हता :- सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार अनुसूची क्रमांक—दो (2) में वर्णित व्यवस्था अनुरूप होंगी।
- 8.1 अनुसूची क्रमांक—दो (2) में वर्णित शैक्षणिक अर्हता के संदर्भ में अभ्यर्थी की शैक्षणिक उपाधि की ग्राह्यता या अग्राह्यता के संशय की स्थिति में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा विभाग से त्वरित परामर्श कर समाधान किया जाएगा।
9. आरक्षण :- इन नियमों में आरक्षण की वहीं व्यवस्था लागू होगी जो तत्समय शासन में प्रचलित होगी।
10. आवेदन शुल्क :- संचालक मण्डल द्वारा तत्समय निर्धारित किया गया, आवेदन शुल्क सभी अभ्यर्थियों को देय होगा। शासन की आवेदन शुल्क छूट की नीति का पालन इन नियमों में भी होगा।

11. भर्ती के लिए अपात्रता :-

11.1 अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्ति के लिये किसी भी अनुचित प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रामाणिकता के आधार पर अपात्र ठहराया जा सकेगा।

11.2 ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हों, वह नियुक्ति के लिये अपात्र होंगे।

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रामाणिक रूप से यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का समुचित अनुमतेय आधार है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकेगा।

11.2.1 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें होंगी, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या पश्चात हुआ हो, उन्हें अपात्र माना जाएगा, किन्तु एक जीवित संतान के पश्चात आगामी प्रसव में दो या अधिक का जन्म होता है तो अपात्रता नहीं होगी।

11.3 अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा यदि :-

- (1) उसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवचार के कारण पूर्व सेवा से पदच्युत किया गया हो।
- (2) अभ्यर्थी को ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अक्षमता अंतर्वलित हो।

11.4 किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ न पाया जाए।

11.5 अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, वह किसी पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा। परन्तु यदि ऐसा कोई प्रकरण न्यायालय में

- लंबित हो तो न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक उसका नियुक्ति प्रकरण लंबित रहेगा।
- 11.6** अभ्यर्थी जिसका विवाह नियत न्यूनतम आयु के पूर्व हुआ होगा वह पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
- 12. अपात्रता का निर्णय अधिकार :-** अभ्यर्थी की किसी पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता पर नियुक्ति प्राधिकारी का ठोस आधार पर विधिसम्मत विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 13. सीधी भर्ती की प्रक्रिया :-**
- 13.1** अनुसूची तीन में दर्शित पदों में से जब सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद रिक्त होंगे तब प्रबंध संचालक संवर्गवार रिक्त पदों की संख्या अथवा संवर्ग के स्वीकृत पदों की प्रतिशत संख्या (निकटतम पूर्णांक) जो भी कम हों, उतने पदों पर भर्ती आवश्यकता हेतु संचालक मण्डल को अवगत करायेंगे।
- 13.2** भर्ती हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय समाचार पत्रों, रोजगार समाचार में विज्ञप्ति प्रसारित कराई जाएगी एवं निगम की अधिकृत वेबसाईट में भी इसे अपलोड किया जाएगा।
- 13.3** अभ्यर्थियों की चयनित सूची में से नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए उसी क्रम में विचार होगा जिस क्रम (मेरिट) में उनके नाम चयन सूची में दर्शित होंगे।
- 13.4** सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान पूर्णतः ठोस आधार पर नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवायोजित किये जाने हेतु पूर्णतः उपयुक्त है।
- 13.5** चयन सूची उसके जारी करने के दिनांक से 1 वर्ष के लिये विधिमान्य होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में एवं आवश्यकतानुकूल इस सूची की वैधता अवधि में संचालक मण्डल द्वारा 6 माह की वृद्धि की जा सकेगी। संचालक मण्डल द्वारा वैधता अवधि में वृद्धि का निर्णय मूल वैधता अवधि समाप्ति के पूर्व ही लिया जाना अनिवार्य होगा।

- 13.6** प्रत्येक नियुक्ति आदेश में शासन नीति अनुसार आरक्षण का पालन किया जायेगा। कुल पद संख्या में सभी वर्गों (आरक्षित/अनारक्षित) का समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रखा जाएगा।
- 13.7** उपयुक्त स्वास्थ्य का चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गई अवधि में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना वांछनीय होगा। अन्यथा स्थिति में उसका नियुक्ति आदेश शून्य घोषित किया जा सकेगा।
- 14. परिवीक्षा अवधि :-**
- 14.1** सीधी भर्ती से सेवायोजित किये गये प्रत्येक सेवक को दो वर्ष की कालावधि हेतु परिवीक्षा पर रखा जाएगा।
- 14.2** नियुक्ति प्राधिकारी समुचित समाधानकारक तथ्यों को उल्लेखित करते हुए मूल परिवीक्षा की अवधि में एक वर्ष की अभिवृद्धि कर सकेंगे।
- 14.3** परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक होने पर उसकी सेवाएँ किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
- 14.4** कोई भी सेवक जिसे परिवीक्षा काल अवधि में या परिवीक्षा के अंत में सेवा से पृथक कर दिया गया हो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्ति का अधिकार नहीं होगा।
- 15. परिवीक्षाधीन सेवक की सेवाओं का निरंतर किया जाना :-**
- परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने पर परिवीक्षाधीन सेवक को उस सेवा या पद पर निरंतर किया जाएगा, जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है। इस विषय पर विधिवत आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 16. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-**
- 16.1** अनुसूची क्रमांक-दो में पदोन्नति हेतु दर्शित पदों के लिये पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र सेवकों की उपयुक्तता सूची तैयार की जाएगी।
- 16.2** उपयुक्तता सूची तैयार करने का कार्य समिति द्वारा किया जाएगा। इसे पदोन्नति समिति के नाम से भी जाना जाएगा।

17. पदोन्नति समिति:—

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पदोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

17.1 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति :—

- | | | |
|-------|-------------------------------------|----------------------|
| (i) | अध्यक्ष एम.पी.ट्रायफेक— | अध्यक्ष |
| (ii) | संचालक मण्डल द्वारा नामित व्यक्ति — | सदस्य |
| (iii) | प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्रायफेक— | सदस्य सचिव |
| (iv) | कार्यकारी संचालक, एमपी ट्रायफेक— | विशेष आमंत्रित सदस्य |

टिप्पणी:— यदि संयोगवश उक्त सभी सदस्य अनारक्षित वर्ग के होंगे तो कार्यकारी संचालक स्तर के किसी आरक्षित वर्ग के अधिकारी को विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।

17.2 तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु :—

- | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------|
| (i) | कार्यकारी संचालक प्रशासन, — | अध्यक्ष |
| (ii) | कार्यकारी संचालक, (एकेव्हीएन भोपाल) — | सदस्य |
| (iii) | महाप्रबंधक प्रशासन — | सदस्य सचिव |
| (iv) | कार्यकारी संचालक, संबंधित एकेव्हीएन — | विशेष आमंत्रित सदस्य |

टिप्पणी:— यदि संयोगवश उक्त सभी सदस्य अनारक्षित वर्ग के होंगे तो महाप्रबंधक स्तर के किसी आरक्षित वर्ग के अधिकारी को विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।

18. पदोन्नति हेतु पात्रता, वरिष्ठता एवं उपयुक्तता का आधार एवं शर्तें :—

एकीकृत सेटअप की पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार

19. प्रतिनियुक्ति द्वारा सेवायोजन :—

19.1 अनुसूची तीन में वर्णित प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों को निहित सीमा तक शासन के विभागों एवं उनके प्रशासकीय नियंत्रण वाले निगम, मण्डलों, अन्य संस्थाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सेवा से भरा जाएगा।

प्रबंध संचालक एम.पी.ट्रायफेक के अतिरिक्त अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाओं की प्राप्ति प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- (1) एम.पी.ट्रायफेक को राज्य शासन द्वारा सौंपे गये उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व प्रबंध संचालक का होता है। अतः निगम के सर्वोच्च हितों के संरक्षण हेतु, प्रतिनियुक्ति पर सेवकों की आवश्यकता का आंकलन एवं उनकी मांग, प्राप्ति अथवा वापसी का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक होगा।
- (2) प्रतिनियुक्ति पर सभी सेवाएं एम.पी.ट्रायफेक को प्राप्त होंगी एवं प्रबंध संचालक आवश्यकतानुरूप उनकी सेवाओं का उपयोग एम.पी.ट्रायफेक अथवा उसकी सहायक कम्पनियों या क्षेत्रीय कार्यालय में जहां चाहें वहां उपयोग करने के लिये स्वतंत्र होंगे एवं यह उनका विशेषाधिकार रहेगा। सहायक कम्पनियों या क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये सीधे प्रतिनियुक्ति पर कोई सेवक प्राप्त नहीं होगा एवं न ही स्वीकार योग्य होगा।
- (3) मध्यप्रदेश ट्रायफेक में आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाएंगे। निर्धारित मापदण्डों यथा आवश्यक अर्हता, अनुभव इत्यादि के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन कर उपयुक्त अधिकारी/कर्मचारी का चयन प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन. भोपाल तथा मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन) एमपी ट्रायफेक सदस्य होंगे, द्वारा किया जाएगा। संबंधित विभाग/कार्यालय/संस्था से प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं प्रदान करने हेतु अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जाएगा।

20 आउटसोर्स एवं संविदा :- निगम के सुचारू संचालन हेतु ऐसी आवश्यक दीर्घ एवं लघु अवधि सेवाएँ जिनके लिए पद उपलब्ध नहीं है उन्हें आउटसोर्स से प्राप्त किया जायेगा।

- 20.1** आउटसोर्स से सेवाओं की प्राप्ति हेतु पारदर्शी नियम एवं प्रक्रिया का निर्धारण संचालक मण्डल द्वारा किया जायेगा एवं उपयुक्त कार्यवाही के लिए प्रबंध संचालक को अधिकृत किया जायेगा।
- 20.2** अल्पकालिक सेवाओं यथा विशेषज्ञ, सलाहकार की सेवाओं की प्राप्ति हेतु संचालक मण्डल, प्रबंध संचालक को अधिकृत करेगा।
- 20.3** निगम के त्वरित आवश्यकता हेतु छः माह तक के लिए संविदा नियुक्ति का अधिकार रिक्त पद एवं बजट सीमा के अधीन प्रबंध संचालक को होगा। संचालक मण्डल अधिकतम एक वर्ष के लिए ऐसी अनुमति दे सकेगा।

परंतु यदि किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को निगम में संविदा नियुक्ति दी जानी हो उस स्थिति में राज्य शासन के निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।

21. निगम सेवकों को वेतन :-

- 21.1** निगम सेवकों को एकीकृत सेटअप में प्रचलित वेतनमान एवं समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते प्राप्त होंगे।
- 21.2** निगम सेवकों को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु जारी आदेश अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान एवं मंहगाई भत्ते में वृद्धि संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरांत प्राप्त हो सकेगी।

22. प्रतिनियुक्ति पर वेतन आदि :-

- 22.1** प्रतिनियुक्त सेवक निगम से वही वेतन प्राप्त करेगा जो वह प्रतिनियुक्ति में नहीं होने पर अपने पैतृक विभाग में प्राप्त कर रहा होता।
- 22.2** जिस दिनांक से उसके पैतृक विभाग में मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते स्वीकृत होंगे उसी दिनांक से उसे निगम में भी देय होंगे भले ही निगम में वे उस समय निगम कर्मचारियों के लिये स्वीकृत न हों।
- 22.3** प्रतिनियुक्ति सेवक निगम में प्राप्त अन्य सुविधाओं के लिए नियमानुसार पात्र रहेगा।

23. वेतनवृद्धि :-

- 23.1** निगम सेवकों को वार्षिक वेतनवृद्धि सामान्य रूप से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 1 जुलाई को देय होगी, यदि अन्यथा रोकी न गई हो।

- 23.2 निगम सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि प्रबंध संचालक एम.पी.ट्रायफेक या उनके द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगी।
24. **विशेष भत्ता** :- प्रबंध संचालक एम.पी.ट्रायफेक संचालक मण्डल की अनुमति से निगम सेवकों को विशेष परिस्थितियों में विशेष भत्ता स्वीकृत कर सकेंगे। विशेष भत्ता इसी प्रकार निगम एवं प्रतिनियुक्त दोनों को पात्रता के अधीन दिया जा सकेगा।
25. **भत्ते** :- निगम सेवकों को समस्त भत्ते राज्य शासकीय सेवकों के समान प्राप्त होंगे।
26. **समयमान वेतनमान** :- संचालक मण्डल की अनुमति उपरांत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार निगम सेवकों को दिया जा सकेगा।
27. **आचरण,अवकाश आदि** :- निगम सेवकों पर आचरण नियम, अवकाश के प्रावधान, गोपनीय चरित्रावलियों के लेखन व संधारण की व्यवस्था तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के नियम राज्य शासन के सेवकों पर लागू नियम व व्यवस्था अनुरूप लागू होंगे।
28. **शासन नियम, आदेश एवं अनुदेशों आदि का लागू होना** :- इन नियमों में अन्यथा उपबंधों को छोड़कर सेवा संबंधी मामलों में राज्य शासन के मध्य प्रदेश मूलभूत नियम, मध्यप्रदेश पदग्रहण काल नियम, मध्यप्रदेश यात्रा भता नियम, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अस्थाई तथा अर्धस्थाई नियम, मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, सामान्य पुस्तक परिपत्र के उपबंध, यथा संशोधित रूप में निगम के सेवकों के लिये सिद्धान्ततः उसी प्रकार प्रयुक्त होंगे जैसा कि तत्समय शासकीय सेवकों पर प्रयुक्त होंगे।
- 29 **अधिवार्षिकी आयु** :- एकीकृत संगठन के सेवकों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष होगी।
- 30 **20 वर्ष की सेवा उपरांत सेवानिवृत्ति** :-
- 30.1 20 वर्ष की सेवा पूर्णता उपरांत कोई भी निगम सेवक विहित प्रारूप (तत्समय शासन में प्रचलित) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन प्रबंध संचालक को प्रस्तुत कर सकेगा। इस हेतु एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन की अनिवार्यता रहेगी।

निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य शासन में तत्समय प्रचलित व्यवस्थाओं के अनुरूप ऐसी सेवानिवृत्ति(एच्छिक) स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसी स्वीकृति संचालक

मण्डल के समक्ष (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संदर्भ में) आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

- 30.2** निगम के सर्वोच्च हित में किसी भी ऐसे सेवक को जो निगम की अपेक्षाओं एवं स्तर के अनुरूप कार्य निष्पादन नहीं कर रहा है, उसे 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु पूर्णता उपरांत तीन माह सूचना या तीन माह के वेतन की शर्त के साथ अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संदर्भ में संचालक मण्डल के अनुमोदन से ऐसा आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक प्राधिकृत होंगे। अन्य सेवकों हेतु प्रबंध संचालक ऐसा आदेश जारी कर संचालक मण्डल के समक्ष आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत करेंगे।

31. यात्रा एवं ठहरने आदि के भत्ते :-

- 31.1** निगम की विशिष्ट कार्यप्रकृति तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्य एवं राज्य के बाहर की गई यात्राओं हेतु दैनिक भत्ता, निवास, भोजन, टैक्सी, स्वयं के वाहन से की गई यात्रा, वायुयान यात्रा एवं अनुषांगिक व्ययों आदि की प्रतिपूर्ति हेतु संचालक मण्डल द्वारा समय-समय पर स्वीकृत नियम, निर्देश लागू होंगे।

32 मुख्यालय निवास का आवास भत्ता :-

- 32.1** निगम सेवकों को आवास भत्ता सामान्यतः तत्समय राज्य शासन के सेवकों के लिये प्रचलित नियम, निर्देशों एवं दरों पर प्राप्त होगा।
- 32.2** निगम में सेवारत सभी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों (प्रतिनियुक्ति सहित) को विकल्प होगा कि वे निगम में प्रचलित दरों पर आवास भत्ता प्राप्त करें अथवा निगम द्वारा लीज पर लिये गये एवं निवेदन पर आवंटित किये गये आवास का उपयोग करें एवं लाईसेंस शुल्क अदा करें। संचालक मण्डल के अनुमोदन से लीज पर आवास लेकर प्रथम श्रेणी अधिकारियों को आवंटन हेतु नीति निर्देश जारी किये जायेंगे।

32.3 निगम सेवकों को संचालक मण्डल के अनुमोदन से वाहन भत्ता स्वीकृत किया जा सकेगा। जिन सेवकों को निगम द्वारा वाहन सुविधा प्राप्त होगी उन्हें वाहन भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

33 चिकित्सा सहायता/ प्रतिपूर्ति :- इस विषय में निगम सेवकों को व्यावहारिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत संचालक मण्डल नियम निर्देश जारी करेगा।

34 अनुग्रह राशि :- निगम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निगम सेवकों को तत्समय विचाराधीन वित्तीय वर्ष हेतु अनुग्रह राशि संचालक मण्डल के अनुमोदन से दी जा सकेगी। उपरोक्त अनुग्रह राशि कर्मचारी का अधिकार न होकर पूर्णतः संचालक मण्डल के विवेकाधिकार में होगी। संचालक मण्डल ऐसे विवेकाधिकार का उपयोग केवल निगम के लाभ में होने की स्थिति में कर सकेगा।

35 अग्रिम :-

35.1 निगम निधि से निम्न अग्रिम स्वीकृत किये जा सकेंगे :-

- (1) यात्रा/स्थानांतरण अग्रिम अनुमानित व्यय का 90 प्रतिशत सीमा तक
- (2) चिकित्सकीय उपचार हेतु अग्रिम (80 प्रतिशत सीमा तक)
- (3) चिकित्सकीय उपचार के लिये अग्रिम चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत अनुमान (एस्टीमेट) जहां सेवक या उसके मान्य, आश्रित आंतरिक रोगी (इनडोर पेशेंट) के रूप में उपचारित हो, पर आधारित होगा।

अग्रिम का समायोजन चिकित्सालय से छुट्टी (डिस्चार्ज) होने से 30 दिवस में कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा वेतन एवं अन्य मदों से वसूली की जाएगी।

- (4) चिकित्सा अग्रिम की पात्रता निगम या शासन द्वारा मान्य चिकित्सालयों में कराई गई चिकित्सा के लिये ही होगी।

(5) किन्ही अन्यान्य कारणों से यदि अग्रिम का उपयोग चिकित्सा व्ययों हेतु नहीं किया गया हो तो उसे 15 दिवस में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा 12% वार्षिक ब्याज सहित वेतन व अन्य मदों से वसूली की जाएगी।

(6) अग्रिमों की स्वीकृति संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी।

36 सेवानिवृत्ति हित लाभ :-

36.1 निगम के सेवायोजित सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 व कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य होंगे तथा योजना अंतर्गत अंशदायी भविष्य निधि पाने के पात्र होंगे।

36.2 निगम सेवायोजित सदस्य भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना के सदस्य होंगे तथा यथा प्रावधान अनुसार उनको लागू दर से उनका मासिक अंशदान वेतन से काटकर जमा किया जाता रहेगा।

37 उपादान (ग्रेच्यूटी) :-

37.1 सेवायोजित सदस्य 5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्णता उपरांत उपादान(ग्रेच्यूटी) हेतु पात्र होंगे।

37.2 सेवानिवृत्ति के समय सेवा के व्यतीत प्रत्येक वर्ष (अधिकतम 33 वर्ष) हेतु सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन के आधार पर प्रत्येक वर्ष की सेवा हेतु 15 दिवस के वेतन के समतुल्य अथवा तत्समय प्रचलित अधिकतम सीमा जो भी कम हो उपादान रूप में देय होगी। इस हेतु शासन सेवकों के लिये प्रचलित नियम, निर्देश यथा रूप लागू होंगे।

37.3 सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में कम से कम 12 माह की उपलब्धियों के समतुल्य, तत्समय प्रचलित अधिकतम सीमा के प्रतिबंध के अधीन उपादान देय होगा।

38 सेवानिवृत्ति पर शेष अवकाश :-

38.1 सेवानिवृत्ति तिथि तक उपभोग न किये गये आकस्मिक अवकाश, लघुकृत अवकाश स्वतः शून्य हो जाएंगे।

38.2 सेवानिवृत्ति तिथि तक संचित किंतु उपभोग न किये गये अर्जित अवकाश को पात्रता अनुसार तत्समय शासन में प्रचलित अधिकतम दिवस सीमा (वर्तमान में 240 दिवस) के अधीन नगदीकरण किया जा सकेगा। इस हेतु शासन सेवकों के लिये प्रचलित नियम, निर्देश यथा रूप लागू होंगे।

39. अधिकारी कर्मचारी संघ का गठन/सदस्यता :-

39.1 निगम सेवायोजित सदस्य अपने पदीय अधिकारों/सेवा सुरक्षा/कर्तव्यों के संरक्षण हेतु राज्य शासन की नीति एवं विधि अनुसार विधिमान्य रूप से गठित कर्मचारी संघ की सदस्यता ग्रहण कर सकेंगे अथवा संघ गठित कर सकेंगे।

39.2 विधिवत पंजीकृत एवं संचालक मण्डल द्वारा औपचारिक रूप से मान्य संघ ही निगम पत्राचार, विचार-विमर्श आदि के लिये पात्र होंगे।

39.3 पंजीकृत संघ में सेवायोजित कुल सदस्यों की न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यता होने और उन सभी के हस्ताक्षरित आवेदन, मान्यता के लिये बनाई गई उपविधियों के साथ प्रस्तुत करने पर ही संचालक मण्डल उक्त संघ को मान्य करने पर विचार कर सकेगा।

39.4 संघ की गतिविधियाँ इस निगम के उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिये अनुचित एवं अहितकर होने की स्थिति में संचालक मण्डल संघ की मान्यता निरस्त करने का अधिकार रखेगा।

39.5 निगम की जल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति जैसी अत्यावश्यक सेवाओं में हड़ताल को अवैध माना जाएगा।

39.6 निगम के तकनीकी एवं गैर तकनीकी सेवकों का पृथक-पृथक संघ गठित हो सकेगा।

39.7 निगम सेवायोजित सदस्यों द्वारा गठित किसी भी संघ की गतिविधियां शासन की नीति एवं अनुशासन पद्धति अनुसार ही मान्य होंगी।

40 अनुकंपा नियुक्ति :- संचालक मण्डल, एकीकृत सेटअप अंतर्गत कार्यरत निगम सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित एक सदस्य को निम्नानुसार शर्तों/प्रक्रिया के अधीन अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा :-

- 40.1** किसी निगम सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी।
- 40.2** अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित सदस्य से तात्पर्य (क्रमानुसार) :- दिवंगत निगम सेवक के आश्रित से तात्पर्य वही होगा, जो तत्समय राज्य शासन द्वारा परिभाषित माना गया हो।
- 40.3** अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्त:- अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता शर्त वही होगी, जो तत्समय राज्य शासन में प्रचलित होगी एवं निगम के संदर्भ में प्रासांगिक होगी।
- 40.4** अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्रता :- अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्रता शर्त वही होगी, जो तत्समय राज्य शासन में प्रचलित होंगी एवं निगम के संदर्भ में प्रासांगिक होगी।
- 40.5** अनुकंपा नियुक्ति के पद :- आश्रित द्वारा धारित योग्यता अनुसार निगम सेटअप में उपलब्ध रिक्त पद यथा सहायक भर्ती हेतु निम्नतर ग्रेड 3 या उसके समकक्ष पदों पर दी जा सकेगी।
- नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा एवं संतोष जनक सेवा उपरांत सेवा निरंतर की जाएगी।
- 40.6** अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यक अर्हताएं तथा शिथिलीकरण :- निगम आश्रित के लिये तत्समय राज्य शासन में प्रचलित एवं निगम संदर्भ में प्रासांगिक व्यवस्थाएँ, नियमावली यथावत लागू होगी।
- 40.6.1** मृतक निगम कर्मियों के ऐसे आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी जिसने मध्यप्रदेश से बाहर की शैक्षणिक संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण कर शैक्षणिक योग्यता धारित की हो।
- 40.6.2** भर्ती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया तथा रोजगार कार्यालय में पंजीयन संबंधी शर्तों से छूट रहेगी।

- 40.6.3** अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त मृतक निगम सेवक की पत्नी के मामले में पूर्णतः शिथिल रहेगी। साथ ही, मृतक निगम सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 40.6.4** दिवंगत निगम सेवक के आश्रित को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिये कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किये जाने हेतु 3 वर्ष का समय दिया जावेगा। तीन वर्ष में भी वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रयासों और टायपिंग क्षमता जो, अर्जित की गई हो, को देखते हुए नियोक्ता अधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि के व्यतीत होने पर भी संबंधित कर्मचारी द्वारा वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- 40.7** **अनुकंपा नियुक्ति देने की अधिकारिता :-** निगम में अनुकंपा नियुक्ति हेतु संचालक मण्डल पूर्णतः अधिकृत होंगे एवं इस हेतु निर्देश जारी कर सकेंगे।
- 41.** **वचन पत्र/शपथ पत्र :-**
- 41.1** दिवंगत निगम सेवक के परिवार को शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा, जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की जाना है।
- 41.2** दिवंगत निगम सेवक के परिवार का नियुक्ति चाहने वाला सदस्य अपात्रता नहीं रखता है। इस हेतु उससे शपथ पत्र लिया जाएगा।
- 41.3** दिवंगत निगम सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में उसे पात्र अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह दिवंगत निगम सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि उसके परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रही है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी।

- 42. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-**
- 42.1** आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के पश्चात किसी अन्य पद पर पुनः नियुक्ति नहीं दी जावेगी।
- 42.2** अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जा सकेगी।
- 42.3** नियुक्ति के पूर्व चिकित्सा परीक्षण नियमानुसार कराया जावेगा, परंतु दिवंगत निगम सेवक की धर्मपत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामलों में नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) कराने की शर्त नहीं रहेगी। किन्तु पत्नी के अलावा अन्य आश्रित सदस्य को चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जावेगी कि नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति निगम सेवा में रखे जाने के योग्य नहीं है, तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 42.4** बैकलॉग पदों की सीधी भर्ती करने के पूर्व निगम/कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन पदों पर बैकलॉग के पदों से सीधी भर्ती की प्रक्रिया जारी है, उन पदों में अनुकंपा नियुक्ति योग्य पदों पर सर्वप्रथम अनुकंपा नियुक्ति इन वर्गों के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा। अनुकंपा नियुक्ति के इन वर्गों के प्रकरण समाप्त होने के पश्चात ही शेष बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी।
- 43 शक्तियों का प्रत्यायोजन :-** इन नियमों में यथा उपबंधित के अतिरिक्त तथा नियुक्ति की शक्तियों के अतिरिक्त, संचालक मण्डल, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक की शक्तियों का प्रत्यायोजन, संचालक मण्डल के प्रस्ताव पारण के माध्यम से किया जा सकेगा।
- 44 सेवा की अवशिष्ट शर्तें :-** निगम सेवायोजित सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित ऐसा कोई भी विषय जिसके लिये इन नियमों में उपबंध न हों, शासन के सेवकों के लिये तत्समय प्रचलित नियम, निर्देश, सिद्धांतों को यथारूप अनुसरण कर संचालक मण्डल के अनुमोदन से निगम में भी प्रवृत्त माना जाएगा।

- 45 शिथिलीकरण :-** इन नियमों में वर्णित किन्ही भी बातों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के प्रकरण में जिस पर यह नियम लागू हों, राज्य शासन, राज्यपाल या निगम की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत और साम्यतापूर्ण प्रतीत होती हो, सीमित या कम करती है। परंतु कोई प्रकरण ऐसी रीति नीति से निराकृत नहीं होगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति के सापेक्ष उसके लिये कम अनुकूल हो।
- 46 निरसन एवं व्यावृत्ति :-** इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के प्रभावी होने के दिनांक से तत्काल पूर्व प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम तथा इनसे संबंधित कार्यपालिक आदेश/अनुदेश एतद् द्वारा निरस्त मान्य होंगे। परंतु इस प्रकार निरसित नियमों एवं कार्यपालिक अनुदेशों/निर्देशों के अधीन की गई कोई बात या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।
- 47 निर्वचन (व्याख्या) :-** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे संचालक मण्डल को निर्दिष्ट किया जाएगा एवं उस पर संचालक मण्डल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अनुसूची-एक (1)

एम.पी. ट्रायफेक एवं एम.पी. ए.के.व्ही.एन. की समेकित संगठनात्मक संरचना अनुरूप पदों का विवरण

सरल क्रमांक	वेतनमान		पदनाम	कुल पद
	प्रथम श्रेणी			
1.	37400-67000 ग्रेड पे-10000		प्रबंध संचालक	1
2.	37400-67000 ग्रेड पे-8700	(क)	कार्यकारी संचालक	9
		(ख)	मुख्य अभियंता	1
3.	15600-39100 ग्रेड पे-7600	(क)	मुख्य महाप्रबंधक	17
		(ख)	अधीक्षण यंत्री	10
4.	15600-39100 ग्रेड पे-6600	(क)	महाप्रबंधक	32
		(ख)	कार्यपालन यंत्री	25
		(ग)	कंपनी सचिव	8
		(घ)	वरिष्ठ लेखाधिकारी	8
			योग	111
	द्वितीय श्रेणी			
5.	15600-39100 ग्रेड पे-5400	(क)	प्रबंधक (विधि/राजस्व/योजना/ वित्त/लेखा इत्यादि)	94
		(ख)	सहायक यंत्री	45
		(ग)	लेखाधिकारी	1
			योग	140

सरल क्रमांक	वेतनमान		पदनाम	कुल पद
	तृतीय श्रेणी			
6.	9300-34800 ग्रेड पे- 4200	(क)	सहायक प्रबंधक	68
7.	9300-34800 ग्रेड पे- 3600		कनिष्ठ यंत्री / मानचित्रकार	75
8.	9300-34800 ग्रेड पे- 3600		कार्यकारी सहायक / वरिष्ठ लेखापाल / वरिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर	16
9.	5200-20200 ग्रेड पे- 2800		लेखापाल / कम्प्यूटर ऑपरेटर / सहायक ग्रेड-1	97
10.	5200-20200 ग्रेड पे- 2400	(क)	सहायक ग्रेड-2	98
11.	5200-20200 ग्रेड पे- 2100	(क)	कैशियर	8
	योग			362
			महायोग	613

श्रेणीवार पद सारांश

क्रमांक	पद श्रेणी	कुल पद
1	प्रथम श्रेणी	111
2	द्वितीय श्रेणी	140
3	तृतीय श्रेणी	362
	पदों का महायोग	613

अनुसूची -दो (2)

संवर्ग भर्ती व्यवस्था

क्र	वेतनमान एवं ग्रेड -पे	पद	आवश्यक अर्हता	मानव संसाधन प्राप्ति स्रोत	स्रोत प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	37400-67000 ग्रे.पे. 10,000	प्रबंध संचालक	सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिनियुक्ति	100 %
2.	37400-67000 ग्रे.पे. 8700	कार्यकारी संचालक	(क) अपर उद्योग संचालक अथवा पांच वर्ष का कार्य अनुभव सहित संयुक्त उद्योग संचालक/राज्य प्रशासनिक सेवा का अपर/संयुक्त कलेक्टर स्तर का अधिकारी	(क) वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	50 %
			(ख) न्यूनतम 7 वर्ष कार्यानुभव सहित मुख्य महाप्रबंधक	(ख) पदोन्नति से	50 %
3.	15600-39100 ग्रे.पे. 7600	मुख्य महाप्रबंधक	(क) न्यूनतम 7 वर्षीय कार्यानुभव सहित महाप्रबंधक औ.के.वि.नि./ट्रायफेक	(क) औ.के.वि.नि./ट्रायफेक से पदोन्नति	50 %
			(ख) संयुक्त उद्योग संचालक अथवा पांच वर्ष का कार्यानुभव सहित महाप्रबंधक/उप उद्योग संचालक	(ख) वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	50 %
4.	15600-39100 ग्रे.पे. 6600	महाप्रबंधक	(क) 7 वर्ष के कार्यानुभव सहित प्रबंधक	(क) पदोन्नति से	50 %
			(ख) उप उद्योग संचालक अथवा पांच वर्ष का कार्यानुभव सहित प्रबंधक/सहायक उद्योग संचालक	(ख) वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	50 %

क्र	वेतनमान एवं ग्रेड -पे	पद	आवश्यक अर्हता	मानव संसाधन प्राप्ति स्रोत	स्रोत प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	15600-39100 ग्रे.पे. 5400	प्रबंधक	(क) 7 वर्षीय अनुभव सहित सहायक प्रबंधक अथवा वित्त प्रभाग के संदर्भ में 7 वर्षीय कार्यानुभव (ख) न्यूनतम स्नातक डिग्री	(क) पदोन्नति से (ख) सीधी भर्ती	50 % 50 %
6.	15600-39100 ग्रे.पे. 5400	प्रबंधक (विधि)	विधि स्नातक	सीधी भर्ती	100 %
7.	15600-39100 ग्रे.पे. 5400	प्रबंधक (राजस्व)	नायब तहसीलदार स्तर का राजस्व अधिकारी	म.प्र.शासन, राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति	100 %
8.	9300-34800 ग्रे.पे. 4200	सहायक प्रबंधक	7 वर्षीय कार्यानुभव सहित कार्यकारी सहायक/ वरिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर	पदोन्नति से	100 %
9.	9300-34800 ग्रे.पे. 3600	कार्यकारी सहायक/ वरिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर	7 वर्षीय कार्यानुभव सहित कम्प्यूटर ऑपरेटर/ सहायक ग्रेड-1	पदोन्नति से	100 %
10.	5200-20200 ग्रे.पे. 2800	सहायक ग्रेड-1	(क) 5 वर्ष कार्यानुभव सहित सहायक ग्रेड-2 (ख) स्नातक डिग्री धारक	(क) पदोन्नति से (ख) सीधी भर्ती	50 % 50 %

क्र	वेतनमान एवं ग्रेड -पे	पद	आवश्यक अर्हता	मानव संसाधन प्राप्ति स्रोत	स्रोत प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	5200-20200 ग्रे.पे. 2400	सहायक वर्ग-2/ कम्प्यूटर ऑपरेटर	(क) 5 वर्षीय कार्यानुभव सहायक ग्रेड-3/समयपाल/टेक्नीशियन ग्रेड-1/पंप चालक/इलेक्ट्रीशियन/पंप मैकेनिक/मीटर वाचक (ख) हायर सेकेन्ड्री, हिन्दी, इंग्लिश स्टेनोग्राफी/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा, ऑन लाईन कार्य का पर्याप्त ज्ञान	(क) पदोन्नति (ख) सीधी भर्ती	50 % 50 %
अभियांत्रिकी प्रभाग					
12.	37400-67000 ग्रे.पे. 8700	मुख्य अभियंता	7 वर्षीय कार्यानुभव सहित अधीक्षण अभियंता अथवा मुख्य अभियंता (लोक निर्माण <u>विभाग/ग्रामीण</u> यांत्रिकी सेवा/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) या 5 वर्षीय कार्यानुभव सहित उक्त विभागों में से अधीक्षण अभियंता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति से (लोक निर्माण <u>विभाग/ग्रामीण</u> यांत्रिकी सेवा/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	100 %
13.	15600-39100 ग्रे.पे. 7600	अधीक्षण अभियंता	(क) 7 वर्षीय कार्यानुभव सहित कार्यपालन अभियंता (ख) अधीक्षण अभियंता (लोक निर्माण <u>विभाग/ग्रामीण</u> यांत्रिकी सेवा/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) या 5 वर्षीय कार्यानुभव सहित उक्त विभागों में से कार्यपालन अभियंता	(क) पदोन्नति से (ख) प्रतिनियुक्ति से (लोक <u>निर्माण/ग्रामीण</u> यांत्रिकी / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ उर्जा विभाग से प्रतिनियुक्ति	50 % 50 %

क्र	वेतनमान एवं ग्रेड -पे	पद	आवश्यक अर्हता	मानव संसाधन प्राप्ति स्रोत	स्रोत प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	15600-39100 ग्रे.पे. 6600	कार्यपालन अभियंता	(क) 7 वर्षीय कार्यानुभव सहित सहायक अभियंता (ख) कार्यपालन अभियंता अथवा 5 वर्षीय कार्यानुभव सहित सहायक अभियंता	(क) पदोन्नति से (ख) प्रतिनियुक्ति से (लोक निर्माण / ग्रामीण यांत्रिकी / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी / उर्जा विभाग से प्रतिनियुक्ति	50 % 50 %
15.	15600-39100 ग्रे.पे. 5400	सहायक अभियंता (सिविल)	(क) 7 वर्षीय कार्यानुभव सहित कनिष्ठ अभियंता (सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री / डिप्लोमा) (ख) सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक	(क) पदोन्नति से (ख) सीधी भर्ती	50 % 50 %
16.	15600-39100 ग्रे.पे. 5400	सहायक अभियंता (इलेक्ट्रीकल)	(क) 7 वर्षीय कार्यानुभव सहित कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल अभियांत्रिकी में डिग्री / डिप्लोमा) (ख) इलेक्ट्रीकल अभियांत्रिकी में स्नातक	(क) पदोन्नति से (ख) सीधी भर्ती	50 % 50 %
17.	9300-34800 ग्रे.पे. 3600	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	(क) सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा (सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक को वरीयता)	सीधी भर्ती	100 %
18.	9300-34800 ग्रे.पे. 3600	कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल)	(क) इलेक्ट्रीकल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा इलेक्ट्रीकल अभियांत्रिकी में स्नातक को वरीयता)	सीधी भर्ती	100 %

क्र	वेतनमान एवं ग्रेड -पे	पद	आवश्यक अर्हता	मानव संसाधन प्राप्ति स्रोत	स्रोत प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
वित्त प्रभाग					
19.	15600-39100 ग्रे.पे. 7600	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	7 वर्षीय कार्यानुभव सहित वरिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय से 7 वर्षीय कार्यानुभव सहित वरिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा म.प्र.शासन, वित्त विभाग के 5 वर्षीय कार्यानुभव सहित संयुक्त संचालक	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति पर (वित्त विभाग/महालेखाकार कार्यालय से)	100 %
20.	15600-39100 ग्रे.पे. 6600	कंपनी सचिव	7 वर्षीय कार्यानुभव सहित कंपनी सचिव	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति / संविदा	100 %
21.	15600-39100 ग्रे.पे. 6600	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	7 वर्षीय कार्यानुभव सहित प्रबंधक (लेखा) अथवा 7 वर्षीय कार्यानुभव सहित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट / चार्टर्ड फायनेन्सियल एनालिस्ट / स्नातोकोत्तर वाणिज्य अथवा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधीन 5 वर्षीय कार्यानुभव सहित लेखा अधिकारी अथवा म.प्र.शासन, वित्त विभाग के अधीन 5 वर्षीय कार्यानुभव सहित उप संचालक	पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति पर (वित्त विभाग/ महालेखाकार कार्यालय से)	100 %

क्र	वेतनमान एवं ग्रेड -पे	पद	आवश्यक अर्हता	मानव संसाधन प्राप्ति स्रोत	स्रोत प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
22.	15600-39100 ग्रे.पे. 5400	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	10 वर्षीय कार्यानुभव सहित वरिष्ठ लेखापाल अथवा 7 वर्षीय कार्यानुभव सहित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा म.प्र.शासन, वित्त विभाग के अधीन 5 वर्षीय कार्यानुभव सहित सहायक संचालक	पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति पर (वित्त विभाग से)	100 %
23.	9300-34800 ग्रेड-पे-3600	वरिष्ठ लेखापाल	7 वर्षीय कार्यानुभव सहित लेखापाल	पदोन्नति सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति पर (वित्त विभाग से)	50 % 50 %
24.	5200-20200 ग्रे.पे. 2800	लेखापाल (एकाउन्टेन्ट)	5 वर्षीय कार्यानुभव सहित कैशियर अथवा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण सहायक वर्ग-2 स्नातक	पदोन्नति सीधी भर्ती	50 % 50 %
25.	5200-20200 ग्रे.पे. 2100	कैशियर	स्नातक तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा एवं ऑन लाईन कार्य का ज्ञान	सीधी भर्ती	100 %
सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग					
26.	15600-39100 ग्रे.पे. 6600	महाप्रबंधक (सू.प्रो.)	प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी में 7 वर्ष का अनुभव अथवा स्नातक अभियांत्रिकी (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी) अथवा स्नातकोत्तर कम्प्यूटर एप्लीकेशन योग्यताधारी उप उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय / सूचना प्रौद्योगिकी विभाग / नेशनल इनफार्मेटिक्स सेन्टर	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति (उद्योग संचालनालय / सूचना प्रौद्योगिकी विभाग / नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर से)	100 %

क्र	वेतनमान एवं ग्रेड -पे	पद	आवश्यक अर्हता	मानव संसाधन प्राप्ति स्रोत	स्रोत प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	15600-39100 ग्रे.पे. 5400	प्रबंधक (सू.प्रो.)	सहायक प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी 7 वर्ष के अनुभव सहित स्नातक / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी अथवा स्नातक अभियांत्रिकी (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी) अथवा स्नातकोत्तर कम्प्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा सहायक संचालक उद्योग	पदोन्नति से सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति (उद्योग संचालनालय / सूचना प्रौद्योगिकी विभाग / नेशनल इनफार्मेटिक्स सेन्टर से)	50 % 50 %
28.	9300-34800 ग्रे.पे. 4200	सहायक प्रबंधक (सू.प्रो.)	7 वर्षीय कार्यानुभव सहित कार्यकारी सहायक / वरिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर	पदोन्नति से	100 %
29.	9300-34800 ग्रे.पे. 3600	कार्यकारी सहायक / वरिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर	(क) 7 वर्षीय कार्यानुभव सहायक वर्ग-1 सूचना प्रौद्योगिकी (ख) 3 वर्षीय कार्यानुभव सहित स्नातक (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी) अथवा स्नातकोत्तर कम्प्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा अथवा सूचना प्रौद्योगिकी का समतुल्य प्रमाणपत्र योग्यताधारी	(क) पदोन्नति से (ख) सीधी भर्ती	50 % 50 %
30.	5200-20200 ग्रे.पे. 2800	सहायक ग्रेड-1 / कम्प्यूटर ऑपरेटर	(क) 7 वर्षीय कार्यानुभव सहायक वर्ग-2 सूचना प्रौद्योगिकी (ख) कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक अथवा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / विज्ञान में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी / अंग्रेजी टंकण में दक्षता	(क) पदोन्नति से (ख) सीधी भर्ती	50 % 50 %

क्र	वेतनमान एवं ग्रेड -पे	पद	आवश्यक अर्हता	मानव संसाधन प्राप्ति स्रोत	स्रोत प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31.	5200-20200 ग्रे.पे. 2400	सहायक वर्ग-2 (सू.प्रो.)	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक अथवा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / विज्ञान में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में दक्षता	सीधी भर्ती	100 %
आयोजना प्रभाग					
32.	15600-39100 ग्रे.पे. 7600	मुख्य महाप्रबंधक (आयोजना)	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अथवा नगरीय प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन	प्रतिनियुक्ति (नगर तथा ग्राम निवेश, अथवा नगरीय प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन)	100 %
33.	15600-39100 ग्रे.पे. 6600	महाप्रबंधक (आयोजना)	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अथवा नगरीय प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन	प्रतिनियुक्ति (नगर तथा ग्राम निवेश, अथवा नगरीय प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन)	100 %
34.	15600-39100 ग्रे.पे. 5400	प्रबंधक (आयोजना)	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अथवा नगरीय प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन	प्रतिनियुक्ति (नगर तथा ग्राम निवेश, अथवा नगरीय प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन)	100 %

मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम-2017 अन्तर्गत
विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र

मैं पिता/पति

पदनाम कार्यालय

"मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम 2017" का पूर्ण संज्ञान लेते हुए एतद् द्वारा पूर्ण विवेक से नियम की कण्डिका क्रमांक 3.2 के प्रावधान के अधीन उपलब्ध विकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का उपयोग करते हुए आज दिनांक को इन सेवा नियमों से शासित होने की सहमति प्रदान करता हूं।

साक्षी :

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | हस्ताक्षर
नाम: | हस्ताक्षर
नाम:
पदनाम: |
| 2. | हस्ताक्षर
नाम: | मूल पद का वेतनमान:
निगम/सहायक कंपनी का नाम: |

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि विकल्प प्रपत्र में अंकित तथ्य अभिलेखीय आधार पर सत्य है।

प्रबंध संचालक/प्राधिकृत अधिकारी

एम.पी. ट्रायफेक/ए.के.व्ही.एन/आई.आई.डी.सी.

दिनांक :